

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3846

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

एमसीए 21

3846. श्रीमती कविता कलवकुंतला :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रभावशाली निगरानी एवं शिकायतों के निवारण हेतु केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपी जीआरएएमएस) पोर्टल सहित एमसीए 21 प्रणाली का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा शिकायतों की संख्या कम करने हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जन-जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): एमसीए-21 प्रणाली में निवेशक शिकायत/गंभीर शिकायत ई-प्ररूप हैं जो हितधारकों को ऑनलाइन शिकायत दायर करने के लिए उपलब्ध हैं। इसमें लिखित रूप से प्राप्त स्कैन की गई शिकायतों पर कार्रवाई करने की सुविधा भी है।

(ख): मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त निवेशक शिकायतें उपचारी कार्रवाई हेतु संबंधित कंपनियों को अग्रेषित की जाती हैं। यदि कंपनी शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं करती है और/या कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है तो कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में समय-समय पर आयोजित 'निवेशक शिकायत समाधान

मंच' की बैठकों में शिकायतकर्ता और कंपनियों के प्रतिनिधि मिलते हैं और निवेशकों की शिकायतें दूर करने हेतु चर्चा करते हैं।

(ग) और (घ): आकाशवाणी, दूरदर्शन और लघु संदेश सेवा (एसएमएस) द्वारा निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में सोशल मीडिया का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
